कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail dfotsbetul@mp.gov.in Fax & Phone : 07141-234266

क्रमांक / मा.चि. / बैतूल, दिनांक /04/2019

प्रति,

मैनेजर
नेटवर्क सर्विस म.प्र. एवं छत्तीसगढ़
आइडिया सेल्लूर लिमिटेड
"बी" ब्लॉक II फ्लोर, जी.टी.बी. काम्पलेक्स
न्यू मार्केट, भोपाल–462003 (म.प्र.)

विषय :– बैतूल जिले में 4^G भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन के निर्माण हेतु 0.021 हे0 वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत्। (प्रकरण क्रमांक-FP/MP/others/29682/2017)

संदर्भ :–
1. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक–एफ/5/18/2002/10–3 भोपाल दिनांक 18.11.2004 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 14.12.2005 तथा 01.07.2009
2. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक–एफ–5–11/2006/10–3 भोपाल दिनांक 31.05.2014
3. भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई–दिल्ली का पत्र क्र./F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2018
4. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5/विविध/2018/10–11/512 दिनांक 22.02.2018, 3786 दिनांक 10.12.2018, 4071 दिनांक 31.12.2018
5. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–11/2018/ 10–11/750 दिनांक 14.03.2018
6. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5/विविध/2019/10–11/207 दिनांक 23.01.2019
7. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल का पत्र क्र./मा.चि./1586 दिनांक 15.03.2018 तथा 1844 दिनांक 16.04.2019
8. आपका पत्र क्रमांक Idea/OFC/ROW/142/2015 दिनांक 21.08.2015
9. कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./4780 दिनांक 04.09.2015, 5391 दिनांक 28.10.2015 पृ. क्र/5005 दिनांक 08.07.2016
10. उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.) का पत्र क्र./486 दिनांक 08.05.2018 तथा 518 दिनांक 30.03.2019
11. परिक्षेत्र अधिकारी आमला (सा.) का पत्र क्र./667 दिनांक 04.05.2018

– 0 –

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके ऑन–लाईन प्रस्ताव अनुसार वनमंडल अन्तर्गत आवेदित क्षेत्र का परिक्षेत्र अधिकारी आमला (सा.) के संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा अनुसार आमला वनपरिक्षेत्र अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र की कुल लंबाई 460 मीटर में मार्ग के किनारे–किनारे डाली गयी भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन का वनकक्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	परिक्षेत्र	वनकक्ष क्रमांक/वनखण्ड का नाम	ओ.एफ.सी. लाईन की लम्बाई (मी.में)	ओ.एफ.सी. लाईन की चौड़ाई (मी.में)	आवेदित वनक्षेत्र रकबा (हे.में.)	वन प्रभावित क्षेत्र की 50–50 मीटर के अन्तराल पर अक्षांश–देशांश	
1	2	3	4	5	6	7	
1	आमला	पी.एफ.–902 बरसाली	210	0.30	0.0063	N-21°55'0.35"	N-21°54'57.62"
						E-78°01'57.60"	E-78°01'53.22"
2		ग्राम–बरसाली, आरेंज एरिया ख.नं.–161	104	0.30	0.0031	N-21°55'5.56"	N-21°55'1.79"
						E-78°02'2.17"	E-78°01'59.25"
3		ग्राम–बरसाली, आरेंज एरिया ख.नं.–150	30	0.30	0.0009	N-21°54'54.81"	N-21°54'55.00"
						E-78°01'32.65"	E-78°01'30.27"
4		ग्राम–बरसाली, आरेंज एरिया ख.नं.–143	116	0.30	0.0035	N-21°54'53.85"	N-21°54'5.55"
						E-78°01'26.97"	E-78°01'24.72"
		योग :–	460		0.014		

मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल के संदर्भित पत्र क्र./मा.चि./2019/1844 बैतूल दिनांक 16.04.2019 द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्राप्त अनुमोदन एवं उपवनमंडलाधिकारी/परिक्षेत्र अधिकारी आमला (सा.) से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्तानुसार संरक्षित वन प्रभावित क्षेत्र 0.014 हे. में मार्ग के किनारे–किनारे

"राईट ऑफ वे" के अंतर्गत भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई-दिल्ली का पत्र क्र./F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2018 में निहित निर्देशानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र./एफ-11/2018/ 10-11/750 दिनांक 14.03.2018 अनुसार मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.11.2004 एवं 01.07.2009 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार जी.पी.एस. रीडिंग के अंतर्गत बिछाई गई भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल लाईन हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की **सैद्धांतिक सहमति** निम्न दर्शित शर्तों के अधीन जारी की जाती है:-

1. वनभूमि व्यपवर्तन की यह स्वीकृति केवल मार्ग के किनारे-किनारे "राईट ऑफ वे" तथा उपरोक्त दर्शित जी.पी.एस.रीडिंग के अंतर्गत आने वाली वनभूमि के लिए ही दी जा रही है (राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारें-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है)।
2. वनभूमि पर आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी गई खन्ति का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौड़ाई से अधिक नही होंगा। यदि 0.50 मीटर चौड़ाई एवं 1.65 मीटर गहराई से अधिक खुदाई पायी गई, तो नियमानुसार प्रचलित वन विधानों के अंतर्गत संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
3. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
5. बिछाई गई भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन के रखरखाव की अनुमति आवेदक संस्थान द्वारा मांग करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पृथक से दी जावेगी।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ति के निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
7. समतलीकरण का कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन् नहीं किया जायेगा।
8. नाली खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जायेगी तथा खन्ति में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नहीं काटा जायेगा और न ही किसी भी वृक्षों की कटाई छटाई की जावेगी।
9. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या भूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
10. यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं अधोहस्ताक्षर (वनमंडलाधिकारी) द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है, तो यह शर्त संस्थान को मान्य होगी।
11. यह स्वीकृति "राईट ऑफ वे" के तहत केवल वन विभाग के आधिपत्य की वनभूमि के लिए जारी की जा रही है, यदि प्रकरण में राजस्व वनभूमि प्रभावित होती है तो आवेदक संस्थान इसके लिये जिम्मेदार होगा।
12. यदि आवेदक संस्थान द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, तथा संस्थान के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. प्रकरण में 100 रू. की राशि ऑनलाईन कैम्पा खाते के Others मद में जमा करना सुनिश्चित करे।

यह स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से जारी की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 13 तक के पालन से संबंधित वचनपत्र एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कार्य सम्पादन हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

(अशोक कुमार)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

D:\DM\Draft sudhir\General\DM_Branch Letter.docx

पृ.क्र./मा.चि./ 2525 बैतूल दिनांक 26/04/2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि यह सैद्धांतिक सहमति आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के आधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। सैद्धांतिक सहमति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियाँ सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व विभाग के छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वनमंडल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की जा सके।
4. उपवनमंडलाधिकारी / परिक्षेत्र अधिकारी आमला (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल